

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 392]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 21, 1973/कार्तिक 30, 1895

No. 392]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 21, 1973/KARTIKA 30, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 21st November 1973

S.O. 706(E)/15/IDRA/73.—Whereas the industrial undertaking known as Messrs. Eastern Distilleries Private Limited, Calcutta, is engaged, in the scheduled industry, namely, fermentation industry;

And whereas the Central Government is of the opinion that there has been a substantial fall in the value of production in respect of the articles manufactured in the said industrial undertaking, for which, having regard to the conditions prevailing, there is no justification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby appoints, for the purpose of making a full and complete investigation into the circumstances of the case, a body of persons consisting of:—

Chairman

1. Shri A. Bose, Special Officer and *Ex-Officio* Secretary, Department of Sick and Closed Industries, Government of West Bengal, Calcutta.

Members

2. Shri A. K. Mukherjee, Secretary, Excise Department, Government of West Bengal, Calcutta.

3. Dr. K. S. Tiwari, Development Officer, D.G.T.D., New Delhi.

2. The above body shall submit its report within a period of twelve weeks from the date of publication of this Order in the Official Gazette.

[No. F. 2/42/72-CUC.]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 1973

का० आ० 706 (अ)/15/आई डी आर ए/73.—यतः मैसर्स इस्टर्न डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता नामक औद्योगिक उपक्रम अनुसूचित उद्योग अर्थात् खमीर उद्योग में लगा हुआ है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम में विनिर्मित वस्तुओं की बाबत उत्पादन के परिमाण में सारभूत गिरावट आ गई है जिसके लिए विद्यमान दशाओं को ध्यान में रखते हुए कोई औचित्य नहीं है ;

अतः, अब, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, मामले की परिस्थितियों का पूर्णरूपेण अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए एक निकाय नियुक्त करती है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :—

अध्यक्ष

1. श्री ए० बोस

विशेष अधिकारी और पदेन सचिव,
रुग्ण और बन्द उद्योग विभाग,
पश्चिमी बंगाल सरकार,
कलकत्ता ।

सदस्य

2. श्री ए० के० मुखर्जी,

सचिव,
आबकारी विभाग,
पश्चिमी बंगाल सरकार,
कलकत्ता ।

3. डा० के० एस० तिवारी
विकास अधिकारी ,
डी० जी० टी० डी०,
नई दिल्ली ।

2. उपरोक्त निकाय इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से बारह सप्ताह की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

[सं० फ़ा० 2/42/72-सी० यू० सी]

डी० के० सक्सेना, संयुक्त सचिव ।

